73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में उभरता महिला ग्रामीण नेतृत्व

डॅा.गोपाल सिंह,
व्याख्याता– (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर– राज.

भारत में विश्व की सबसे बड़ी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पायी जाती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पुरूषों के साथ–साथ महिलाएॅ भी देश की राजनीति में सक्रिय रूप में भागीदार बनें। स्वतंत्रोपरांत भारत की राजनीति में महिलाओं ने प्रवेश किया है तथा 73वें संविधान संशोधन ने इसे और भी गति प्रदान की है। भारतीय समाज की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता एवं जागरूकता का ऑकलन समय–समय पर किया जाना आवश्यक है जिससे वास्तविकता एवं मिथ्या की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रस्तुत लेख इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।''

प्राचीन भारत में पंचायतें थीं, इसके अनेक प्रमाण मिलते है लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी भी थी– इसके प्रमाण नहीं मिलते । तत्कालीन प्रचायत की सदस्यों के लिए जो योग्यतायें निर्धारित की गयी थीं, महिलाएॅ उनकी परिधि में नहीं आती थी। जॅान मथाई ने अपनो पुस्तक 'विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया में बताया है कि विभिन्न ग्रामीण समितियों के गठन में महिलाओं को सदस्य बनने की मनानही नहीं थी। पं.जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ''भारत एक खोज'' में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि ग्रामीण समितियॅा एक वर्ष के लिए गठित होती थीं और महिलाएॅ भी ऐसी समितियों की सदस्य हो सकती थी। इन शोधों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समितियों की सदस्या महिलाएॅ हो सकती थीं लेकिन इसका प्रचलन नहीं पाया गया। इसका कारण मुख्य रूप से परम्परागत दबाव अथवा विरोध भी कहा जा सकता है। महात्मा गॅाधी ने कहा था– ''भारत की अधिकांश जनता गॅावों में बसती है इसलिए गॅाव वालों की प्रगति को बढ़ाना चाहिए ताकि वे गॅाव छोड़ने के लिए विविश न हों।''

गॅाधी जी के सपनों का भारत आज भी उनके विचारों के अनुरूप न बन सका। जनसंख्या वृद्धि व शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव ने गॅावों व ग्रामीण उ़द्योगों की अवनति की है। यद्यपि सरकार द्वारा समय–समय पर ग्रामोद्धार के प्रयास किए जाते रहे हैं, किन्तु उसका सम्पूर्ण लाभ गॅावों को नहीं मिल पाता है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा ग्रामीण महिलाओं को भुगतना पड़ता है। विकास के अवसरों के अभाव में वे घर की चहारदीवारी में अपना जीवन गुजारती है। उन्हें अपने अस्तित्व को पहचानने हेतु कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परम्परागत मूल्यों की बाधाएॅ भी उनके विकास में अवरोध बन जाती है।

वर्ष 1994 में जानी मानी समाजशास्त्री प्रो. जरीना भट्‌टी ने लिखा कि भारत का नारीवाद गॅावों में बसता है। इस आन्दोलन से ज्यादातर विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग की पढ़ी–लिखी महिलॅाए ही जुड़ी हैं लेकिन उनके मुख्य सरोकार हैं कि कैसे कृपोषण , गरीबी,

अन्याय, कुरीतियों, निरक्षरता और रोजगार की समस्याओं से निबटा जाए, जो ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी है। ये मुद्दे भारतीय महिलाओं की प्राथमिकता हैं जिसके द्वारा ग्रामीण भारतीय महिलाओं के विकास व स्वावलम्बन की राह को प्रशस्त किया जा सकता है।[2]

महिला विकास, महिला सशक्तीकरण एवं महिला नेतृत्व हेतु सरकार द्वारा उठाया गया प्रभावशाली कदम है– भारतीय संविधान का 73वॉं संशोधन, जिसके अनुसार पंचायती राज इकाईयों और नगर निकायों के सभी पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। सन 1988 में पी.के.थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उपसमिति गठित की गयी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया जाए। 1991 में कांग्रस के दोबारा सत्ता में आने पर मंत्रिस्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 16 सितम्बर, 1991 को संविधान (73वॉं संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसतम्बर, 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रेल, 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वॉं संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में इसे अन्तिम रूप मिला।[3]

यह संशोधन देश के सत्तातंत्र में महिलाओं को शामिल करने का पहला वृहत स्तरीय प्रयास था– जिसके कारण देशभर में आरक्षित सीटों से चुनाव जीतकर 10 लाख ग्रामीण महिलाऍं पहली बार आाार स्तर पर सत्ता में शामिल हुई। वर्ष 2004 में ऑकड़ों के अनुसार देश में 2 लाख 31 हजार ग्राम पंचायतें, 1912 ब्लॉक पंचायतें, 595 जिला परिषद, 101 नगर निगम, 1430 नगरपालिकाऍं और 2009 नगर पंचायतें थी। 3 लाख 20 हजार से अिक प्रतिनिाि चुने गए जिसमें से एक तिहाई से अिक महिलाऍं थी। पंचायती व्यवस्था से महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक नवीन क्रांति का सूत्रपात हुआ है जिनमें महिलाओं को न केवल पुरूषों के समान अधिकार दिलाने की पहल की है बल्कि उनके विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता को भी सरल बनाया है।[4]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है, बल्कि उनके विकास सम्बन्धी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की भी है। महिलाऍं पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूपों में सहभागी हो सकती हैः–

- महिला मतदाता के रूप में
- राजनीति दलों के सदस्य के रूप में
- प्रत्याशियों के रूप में
- निर्वाचित सदस्य के रूप में
- महिला मण्डल के सदस्य एवं स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ काम करके।

इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है।[5]

अतः 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील के पत्थर के समान है। जिससे ग्रामीण महिला नेतृत्व व सशक्तीकरण उभर कर सामने आने लगा। महिलाओं के सशक्तीकरण का तात्पर्य उन्हें अधिका शक्ति या सत्ता दिया जाना है। अर्थात महिला को अधिक सुविधापूर्वक कार्य करने देने के लिए उनमें चेतना एवं उन क्षमताओं का विकास किया जाना ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा सकें।[6]

वास्तव में महिला सशक्तीकरण मात्र एक विकासात्मक कार्यक्रम न रह कर एक प्रगतिशील आन्दोलन बन गया है और किसो भी आन्दोलन की प्रगतिशीलता का अनुमान उसमें शामिल महिला शक्ति से लगाया जाता है। उन्हें पुरूषों के समान मान्यता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। भारत के स्वर्णिम इतिहास में ऐसे तीन दौर आए थे जब महिला शक्ति को बड़े स्तर पर पहचाना और माना गया था तथा उसे एक निर्णायक शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। पहली बार बौद्ध धर्म के अनिर्माण काल में जाति प्रथा का विरोध कर स्त्री शक्तिकरण का सम्मान किया गया था। दूसरी बार शक्ति काल में स्त्री शक्ति को बन्धनों से मुक्त करवाने में सहायता की। तीसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के कारण महिलाएँ अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकली और उन्होनें अंग्रेजों से कडी टक्कर लेकर अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रप्रेरणा स्वामी विवेकानन्द ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुऐ कहा है कि जिस प्रकार एक पंख से चिडिऋया उड़ान नहीं कर सकती है उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।[7]

महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया एक तरफ उत्तेजना भरी तथा खुशी प्रदान करने वाली है तो दूसरी तरफ घबराहट और चिंता वाली भी। सबसे बड़ी समस्या, पंचायत के तीनों स्तरों के लिए चुनाव के समय तक 7.95 लाख महिलाओं को खोजने की थी। महिलाओं को हमेशा से दबा कर रखा गया था। अतः निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बन्धनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था। आज भी ज्यादातर महिलाएँ संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अशिक्षित तथा बिना सम्पत्ति के रूढ़िवादी भारतीय समाज में रहती है। ऐसे में कम से कम प्रारम्भिक चरण में शक्तिशाली लोग अपने राजनीतिक फायदें के लिए ही सही महिलाओं को चुनाव में खड़ा कर सकते है। इसी संदर्भ में एक और समसया यह है कि महिलाएँ खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप आगे आकर चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी। यहॉ तक कि दलों के नेता, सरकारी अधिकारी, गॉवों के प्रधान इस बात से डरते है कि महिलाएँ राजनीति में भाग लेने के लिए तब तक अनिच्छुक रहेंगी जब तक उनके परिवार के बड़े उन्हें अनुमति नहीं देते। अगर वह आगे आती भी है तो वे पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों के आदेश, निरीक्षण तथा प्रतिनिधि के रूप में कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर या अगॅूठा लगायेंगी।[8]

1995 एवं 1996 में अधिकतर राज्यों में पंचायतों के चुनाव कराये गये जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33 एवं उससे अधिक भी पायी गयी अर्थात महिला नेतृत्व विकास की और

बढ़ता यह एक सफल प्रयास रहा। इस प्रावधान के कारण महिलाओं में छिपी ऊर्जा उजागर हुई जो भविष्य में भारत को राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है।[9]

पंचायती राज के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने समय–समय पर अपने अध्ययन एवं विचार प्रस्तुत किये है। जिसमें महिलाओं के कार्य, उन पर पड़ने वाले दबाव, पूर्ण स्वतंत्रता या मिथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक कुमार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत महिलाओं की सहभागिता संतोषजनक नहीं है। प्रकाशर जैन (1993) में अपने एक लेख द्वारा महिला आरक्षण, उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण को समझाते हुऐ महिलाओं के दायित्व का विश्लेषण किया है। स्नेहलता पांडा ने अपना अध्ययन उड़ीसा के पंचायतों की महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर किया है। अध्ययन में पाया कि आरक्षण के बावजूद पंचायतों में पुरूषों का ही वर्चस्व है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिला सशक्तीकरण का अर्थ शहरी महिला सशक्तीकरण से पूर्णतया भिन्न है क्योकि शहरी महिलाओं को वैचारिकी, सांस्कृतिक, सामाजिक स्वतन्त्रता की छूट होती है जबकि ग्रामीण स्त्रियॅा जागरूकता के अभाव में इन तक नहीं पाती है। यद्यपि भारतीय संविधान के अन्तर्गत सभी नारियों को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु अशिक्षा व जागरूकता की कमी, पुरूष मानसिकता तथा तथाकथित परम्पराऍं बाधाओं के रूप में उनके सामने खड़ी रहती है और ग्रामीण महिलाऍं इन प्रावधानों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाती। आरक्षित ग्रामीण महिलाओं के पदों का लाभ उनके परिवार के पुरूष वर्ग ही उठाते हैं। जिससे वे आज भी स्वावलम्बन से कोसों दूर हैं।[10]

पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व व उनकी भूमिका विद्वानों एवं ग्रामीणों के मध्य सदैव वाद–विवाद का विषय रही है जिसका अध्ययन प्रस्तुत प्रपत्र में किया गया है। ग्रामीण एवं सामान्य जनता का महिला नेतृत्व के विषय में क्या विचार है यह जानने क लिए वाराणसी के नसीरपुर ग्राम पंचायत का चयन किया है। इस ग्राम के पचास परिवारों का चयन दैव निदर्शन की लाटरी विधि द्वारा किया गया है। समस्त उत्तरदाताओं से ग्रामीण लोगों की व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की गई। राजनीति, जागरूकता एवं महिलाओं की भूमिका को जानने का प्रयास साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया।

समस्त उत्तरदाताओं में 46: उत्तरदाता 40 की उम्र के पाये गये तथा 14: 30वर्ष के नीचे के थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि घर के मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 62: उत्तरदाता पिछड़े वर्ग के थे जो अपने अधिकारों तथा परिवार की महिलाओं की सहभागिता के प्रति भी जागरूकता दिखाई दिए। उत्तरदाताओं में अधिकाधिक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही पाये गये। उच्च शिक्षा का अवसर एवं सुविधा दोनों ही नहीं थे। परिवार में स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा मध्यम एवं निम्न पायी गयी। उत्तरदाताओं की मासिक सम्बन्धित व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। मात्र 15: उत्तरदाता नौकरी करते पाए गये। गॅाव की प्रधान महिला हैं तथा सदस्यों में भी महिलाऍं चयनित हुई हैं जिनके नेतृत्व भूमिका एवं जागरूकता सम्बन्धी प्रश्नों पर ग्रामीणों की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही कि 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाऍं पंचायत के बारे में जानकारी रखती है जबकि 24 प्रतिशत ग्रामीण कहते है कि वे मात्र परिवार के दबाव

से चुनाव लड़ती है। 58प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनकी सक्रियता सामान्य रहती है अर्थात् वह अपने कार्य के प्रति उत्साहित नहीं दिखाई देती हैं जो कार्य आवश्यक है उसे ही करती हैं। 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इस पद व भूमिका को गॅाव के सम्पन्न लोग व उनका परिवार ही प्राप्त करता है जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाता जाति के महत्व को स्वीकारते हैं। 73 प्रतिशत ग्रामीणों का कहना है कि महिला प्रधान समस्त विकास कार्यक्रमों को जानती ही नहीं है अतः उनके क्रियान्वयन हेतु प्रयास नहीं करती। 33प्रतिशत उत्तरदाता ने इस बात को स्वीकार किया है कि महिला प्रधान को समस्त बैठकों या पंचायत में जाने को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। उनके परिवार के सदस्य बैठकों में जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाता है। 5प्रतिशत उत्तरदाता उक्त विचार से असहमत दिखाई दिए। 100 प्रतिशत उत्तरदाता इसका मुख्य कारण अशिक्षा को मानते हैं। 94 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण विकास हेतु पंचायत की भूमिका को स्वीकारते हैं। समस्त उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। अब सभी ग्रामीण अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। महिलाएॅं भी जागरूक दिखाई पड़ रही हैं। परन्तु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार व प्रसार की आवश्यकता है। शिक्षित होने के पश्चात् ही महिलाएॅं अपने कार्य व अधिकार के प्रति जागरूक होंगी। वे स्वंय अपने पद व भूमिका के महत्व को समझ सकेंगी।

प्रस्तुतत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पुरूषों में भी शिक्षा का अभाव पाया गया है जिसके कारण नेता चुनते समय वे उनके आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग आदि से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में सच्चा ग्रामीण नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ पाता।

ऐसे में महिला ग्रामीण नेतृत्व को ग्रामीण सरलता से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे महिलाएॅं जो चयनित होने के पश्चात् नेता की भूमिका में आती हैं उनके सामने परम्परा, अशिक्षा, जागरूकता जैसी बाधायें उभर कर आ जाती है। अतः उनकी सक्रियता कम या नहीं के समान हो जाती है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्यन के स्तर पर कई समस्यायें उजागर हुई जैसे–

1. **शिक्षा का अभाव**– पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलायें सदस्य के रूप में चुनकर आयी हैं, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण वे अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों को भली भांति समझ नहीं पाती है। अतएव उनकी भूमिकाओं का निर्वाह उनके परिवार के पुरूष सदस्य करते है। ऐसे में ग्राम विकास के कार्यों की योजना तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में कितनी सफल हो पायेंगी– यह कहना कठिन है।
2. **प्रशिक्षण का अभाव**– शिक्षा के अभाव के कारण उनके समक्ष प्रशिक्षण को प्राप्त करने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इन्दिरा गॅाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए मातृभाषा में साहित्य तैयार किया है जो जनता में

पंचायतों के प्रति जागृति पैदा करने के लिये उत्कृष्ट है किन्तु इसें सभी स्तरों तक पहुॅचाने और कार्यकारी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का अति अभाव है।

3. **सामाजिक समस्याएॅं**:– महिलाओं की सहभागिता से उत्पन्न अन्य समस्याओं में अभी भी यह धारणा समाज में व्याप्त है कि पंचायतों में आरक्षण बेमानी सिद्ध हो रहा है। उनको चयनित तो किया जा रहा है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। बहुत कम महिलाएॅं ही मुख होकर अपना विचार प्रस्तुत कर पाती है। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढ़िवादिता के कारण महिलायें विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही है।

4. **अन्य समस्यायें**:– कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है अतः वे पंचायतों की बैठकों में समय पर नहीं पहुॅच पाती हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण, उनको पारिवारिक दायित्वों के कारण बेठकों में जाने तथा निर्णय लेने से वंचित होना पड़ता है। कई गॉवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। ऐसे में उच्च जाति की चयनित महिलाऍ निम्न जाति की सरपंच के अधीन कार्य नहीं करना चाहती है।[11]

ग्रामीण महिला नेतृत्व को कारगर बनाने के प्रयास एवं सुझाव–

महिलाओं का सदैव समाज की मुख्य धारा से अलग रखने का प्रयास किया गया है। जब तक महिलायें जागरूक नहीं होंगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेंगी, तब तक राष्ट्र का स्वांगींण विकास संभव नहीं है। वर्णित समस्याओं के निराकरण एवं पचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने हेतु किए गये प्रयासों तथा सुझावों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. **महिलाओं में शिक्षा का विकास**– पंचायती राज में प्रतिनिधि को चुनने के लिए शिक्षा का मानदण्ड होना जरूरी है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है अतः सरकार को प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका एवं महिलाओं को साक्षर करना चाहिए ताकि वे पंचायत सम्बन्धी कार्यो को आसानी से समझ सकें।

2. **उचित प्रशिक्षण**– महिलाओं को विकास कार्यक्रमों की नोतियों से अवगत कराने हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है। महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज एवं अपने अधिकारों एवं दायित्वों का ज्ञान नहीं होता। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों के पशिक्षण हेतु तीन बड़े संस्थानों को चुना गया है। प्रशिक्षण के मापदण्ड भी तैयार किये गए हैं। अनेक राज्यों जैसे कर्नाटक में राज्य सरकार तथा स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण तथा सरलीकरण कार्यक्रमों के जरिए अगुवाई की गई है।

3. **जागरूकता एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करना–** पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता का प्रभावशाली बनाने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक किया जाये। अनेक महिला संगठन तथा सरकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। संचार माध्यमों से भी जिले के दूरदराज इलाकों में पंचायत सम्बन्धी सूचना दी जा सकती है।

पंचायतों की कई महिला प्रतिनिधियों के साथ होने वाले अपराधों एवं हिंसा की घटनाओं का सामाजिक स्तर पर सामूहिक विरोध होना चाहिए। महिलाओं का अपराधों के विरूद्ध संरक्षण करने हेतु कई प्रकार के कानून हैं, इन सबकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में ''विधिक साक्षरता'' के माध्यम से महिलाओं को दी जानी चाहिए।

अन्य सुझाव

परिवार के पालन– पोषण हेतु कृषि कार्यो एवं मजदूरी में ग्रामीण महिलायें पुरूष के समान सहभागी होती है, इस कारण वे पंचायतों के कार्य में प्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात् अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाती। यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता या मानदेय दें तो वे पंचायतों की बैठकों में भाग ले सकती है।

जातिवाद की समस्या के साथ छूआछूत की भावना का अंत होना चाहिए ताकि निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि भी पंचायती राज व्यवस्था में निर्भय होकर कार्य कर सकें। महिला प्रतिनिधियों को परिवार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। परिवार के सहयोग का यह मतलब नहीं कि नये पंचायती राज में महिलाओं को सरपंच तो बना दिया जाये परन्तु उन्हें पंचायतों की बैठकों में जाने से रोक दिया जाए। सभी निर्णयों में पुरूष वर्ग का अधिकार हो। यदि परिवार व समाज का सहयोग सही मायने में मिले तो महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी कारगर बन सकेगी।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका के समस्त पक्षों का अवलोकन करने के पश्चात् निष्कर्ष यह निकलता है कि देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है क्योंकि देश की आधी जनसंख्या महिलायें हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की राजनीति में भी महिलाओं की सशक्त एवं वास्तविक भागीदारी हो। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व उभरा है। यदि समीक्षा की जाय तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि धीरे–धीरे महिला जन–प्रतिनिधि पंचायत के कार्यो की जिम्मेदारी के साथ निर्वहन कर रही है। इसकी झलक विभिन्न शोध अध्ययनों से स्पष्ट है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में संचालित किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि कई राज्यों में शुरू किये जा चुके हैं जिनसे वास्तव में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है। अतः यह आशा की जाती है कि इस सदी के अंत तक सामाजिक और राजनीतिक रूप में महिलायें पहले से अधिक शिक्षित और सशक्त हो जायेंगी और वे निर्णय लेने में प्रभावशाली भूमिका निभायेंगी। सशक्त ग्रामीण हिलायें सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही नहीं सामान्य सीटों पर भी

चयनित होकर कुशल नेतृत्व को प्रदर्शित करेंगी। परिणामस्वरूप 21वीं सदी का भारत एक नई सामाजिक व्यवस्था के साथ एक विकासोन्मुखी समाज होगा।

संदर्भ–

1 राजनीति में महिलाओं की भागीदारी–डॉ. उशा कुशवाहा

2 मनीश कुमार 2006 महिला सशक्तीकरण

3 महीपाल, ''पंचायती राज : चुनौतियॅा एवं संभावनाएॅ

4 मनीश कुमार, महिला सशक्तीकरण

5 रवि श्रीवास्तव, नारी सशक्तीकरणः कुछ मुद्द

6 मोदी अनिता, पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण

7 मिश्रा, श्वेता, ''पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता''

8 महीपाल, ''पंचायती राजः चुनौतियॅा एवं सम्भावनाएॅ

9 मनीश कुमार, महिला सशक्तीकरण

10 ''महिला संरक्षण एवं न्याय'' प्रकाश नारायण